भारत सरकार
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय
नई दिल्ली, 6 जुलाई, 1954

अधिसूचना

का.नि.आ. 2226 - केन्द्रीय सरकार कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) की धारा 26 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है जिसे उसी उपधारा की अपेक्षानुसार पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् : -

1. **संक्षिप्त नाम** : - इन नियमों का संक्षिप्त नाम कयर उद्योग नियम, 1954 है ।

2. **परिभाषाएँ** :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो ;

(i) ''बोर्ड'' से अधिनियम की धारा 4 के अधीन गठित कयर बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ii) ''अध्यक्ष'' से बोर्ड का अध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(iii) ''समिति'' से अधिनियम की धारा 8 के अधीन बोर्ड द्वारा गठित कोई समिति अभिप्रेत है ;

(iv) ''प्ररूप'' से इन नियमों की अनुसूची में उपवर्णित प्ररूप अभिप्रेत है ;

(v) ''सदस्य'' से बोर्ड का कोई सदस्य अभिप्रेत है ;

(vi) "सचिव" से बोर्ड का सचिव अभिप्रेत है ;

(vii) ''अधिनियम'' से कयर उद्योग अधिनियम, 1953 (1953 का 45) अभिप्रेत है ;

(viii) ''उपाध्यक्ष'' से बोर्ड का उपाध्यक्ष अभिप्रेत है ;

(ix) ''वर्ष'' से 1 अप्रैल को प्रारंभ होनेवाला वर्ष अभिप्रेत है ।

3. **बोर्ड का कार्यालय** : बोर्ड का कार्यालय एरणाकुलम में अवस्थित होगा ।

4. **बोर्ड का गठन और रिक्तियों को भरने का ढंग** :-

(1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट प्रत्येक श्रेणी में से सदस्य के रूप में नियुक्त किए जानेवाले व्यक्तियों की संख्या निम्नलिखित होगी :-

(क) नारियल उपजानेवाले तथा छिलके और कयर सूत के उत्पादक ;

(ख) छिलके, कयर और कयर सूत के उत्पादन में तथा कयर की बनी वस्तुओं के विनिर्माण में लगे हुए व्यक्ति ;

(ग) कयर की बनी वस्तुओं के विनिर्माता ;

(घ) कयर सूत और कयर की बनी वस्तुओं के व्यवहारी जिनमें निर्यातकर्ता और

अंतर्देशीय व्यापारी, दोनों ही सम्मिलित हैं ;

[1](ङ) संसद - लोक सभा से निर्वाचित किए जानेवाले दो और राज्य सभा से निर्वाचित किए जानेवाला एक सदस्य ;

(च) नारियल उपजाने वाले प्रधान राज्यों की सरकारें ;

[2](छ) ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग, जिनका केन्द्रीय सरकार की राय में बोर्ड में प्रतिनिधित्व होना चाहिए ।

[3](2) केन्द्रीय सरकार सदस्यों की नियुक्ति करने के पूर्व ऐसा परामर्श कर सकेगी जैसा वह आवश्यक समझे ।

[4](3) जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है या यह समझ लिया जाता है कि उसने त्यागपत्र दे दिया है या उसे पद से हटा दिया जाता है या वह कार्य करने में असमर्थ हो जाता है या जिस प्रवर्ग से उसे नियुक्त किया गया है उसका प्रतिनिधित्व करना बंद कर देता है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, रिक्ति को भरने केलिए किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकती है ।

---

(1) 12 दिसंबर 1957 की अधिसूचना सं. एफ. 42/एस एस आई (बी) (7)/54 द्वारा संशोधित ।
(2) दि.. 28.10 2004 की अधिसूचना सं. एफ. 1199 (बी) द्वारा संशोधित ।
(3) 12 दिसंबर 1957 की अधिसूचना सं. एफ. 42/एस एस आई (बी) (7)/54 द्वारा संशोधित ।
(4) वही

2(बी) उपर्युक्त अधिनियम की धारा 26 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त अधिकार लागू होने के क्रम में अब केन्द्रीय सरकार कयर उद्योग अधिनियम, 1954 के संशोधन केलिए निम्नलिखित नियम बनाए हैं । वे हैं : -

1. (क) ये कयर उद्योग (दूसरा संशोधन), नियम, 2004 के नाम से जाने जायेंगे ।
   (ख) सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू हो जायेंगे ।
2. कयर उद्योग नियम, 1954 के नियम 4, उप नियम (1) के वर्ग (छ) में अंक 10 केलिए अंक 19 प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(एफ. नं. 6 (4)/2004 - कयर)
ए पी पाढी, संयुक्त सचिव

नोट : अधिसूचना सं. एस आर ओ 2226 दि. 06.07.1954 द्वारा भारत के असाधारण राजपत्र से खंड की धारा 3 (1) में मुख्य नियम प्रकाशित किए गए और निम्नानुसार इनके संशोधन किए गए ।

एस आर ओ 973 दि. 29.04.55
एस आर ओ 3983 दि. 12.12.1955
एस आर ओ 3669 दि. 17.12.1955
एस आर ओ 877 दि. 9.4.1960
जी एस आर 1088 दि. 18.06.1963
एस आर ओ 2983 दि. 06.05.1967
एस आर ओ 1122 दि. 21.7.1969
एस आर ओ 1588 दि. 9.7.1976
एस आर ओ 2498 दि. 28.09.1976
एस आर ओ 390 (ई) दि. 30.05.1983
एस आर ओ 694 (ई) दि. 30.07.1992
एस आर ओ 832 (ई) दि. 29.10.1992
एस आर 784 (ई) दि. 14.09.1995
एस आर 44 (ई) दि. 15.01.1996
एस आर 905 (ई) दि. 03.08.2004

5. **पदावधि** :- (3) (1) इसमें आगे जैसा उपबंधित है उसके सिवाय और नियम 4 के उपनियम (3) के अधीन रहते हुए, कोई सदस्य उतनी अवधि तक पद धारण करेगा जो केन्द्रीय सरकार उस व्यक्ति के नियुक्ति-आदेश में विनिर्दिष्ट करें अथवा तब तक पद धारण करेगा जब तक वह संबंधित श्रेणी का प्रतिनिधित्व करना जारी रखता है ।

(2) नियम 8 के उपनियम (3) के अधीन किसी आकस्मिक रिक्ति को भरने केलिए नियुक्त किया गया व्यक्ति उतने समय तक पद धारण करेगा जितने समय तक वह सदस्य, जिसके स्थान पर उसे नियुक्त किया गया है, रिक्ति न होने की दशा में पद धारण करने का हकदार होता ।

6. **त्यागपत्र** :- (1) कोई सदस्य अपने पद से त्यागपत्र, अध्यक्ष को संबोधित, स्वहस्ताक्षरित लिखित पत्र द्वारा दे सकता है ।

(2) समिति का कोई सदस्य अपने पद से त्यागपत्र, सचिव को संबोधित, स्वहस्ताक्षरित लिखित पत्र द्वारा दे सकता है ।

(1) (3) बोर्ड या समिति के सदस्य का पद उस तारीख से, जिसको उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है या त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन बीत जाने पर, दोनों में से जो भी तारीख पूर्ववर्ती हो, रिक्त हो जाएगा ।

(4) बोर्ड या समिति के सदस्य का त्यागपत्र अध्यक्ष स्वीकार कर सकता है और वह ऐसी स्वीकृति की सूचना बोर्ड को, उसके अगले अधिवेशन में, और केन्द्रीय सरकार को देगा ।

7 **बोर्ड से हटाया जाना** :- केन्द्रीय सरकार, किसी सदस्य को उसके पद से हटा सकती है, यदि वह -

(क) विकृतचिन्तन और किसी सक्षम न्यायलय ने उसे ऐसा घोषित किया है, अथवा
(ख) अनुन्मोचित दिवालिया है, अथवा
(ग) किसी ऐसे अपराध केलिए सिद्धदोष ठहराया गया है जिसमें नैतिक अद्यमता अंतर्वलित है, अथवा
(घ) बोर्ड की इजाजत के बिना बोर्ड के क्रमवर्ती तीन अधिवेशनों में उपस्थित होने में असफल रहता है ।

8. **भारत से अनुपस्थिति : -** (1) कोई सदस्य भारत छोडने के पहले,

(क) भारत से प्रस्थान करने और भारत वापस आने की अनुमानिक तारीख सचिव को सूचित करेगा, और

9. **उपाध्यक्ष : -** (5) (1) बोर्ड प्रतिवर्ष एक सदस्य को अपना उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा और वह अपने निर्वाचन की तारीख से बारह मास की अवधि तक अथवा उसके

पदोत्तरवर्ती का निर्वाचन होने तक, इनमें से जो भी पश्चात्यवर्ती हो, उपाध्यक्ष का पद धारण करेगा ।

---

(1) 12 दिसंबर 1967 की अधिसूचना सं.एफ. 42/एस एस आई (बी) (7)/54 द्वारा संशोधित

(ख) यदि उसका आशय छह माास से अधिक की अवधि केलिए भारत से अनुपस्थित रहने का है तो उसे बोर्ड की अनुमति प्राप्त करनी होगी ।

x(2) यदि कोई सदस्य उपनियम (1) के उपबंधों का पालन किए बिना भारत छोड देता है तो यह समझा जाएगा कि उसने भारत से प्रस्थान करने की तारीख को त्यागपत्र दे दिया है ।

(क) उपाध्यक्ष अपने पद से त्यागपत्र, अध्यक्ष को संबोधित स्वहस्ताक्षरित लिखित पत्र द्वारा दे सकता है और उसका पद उस तारीख से, जिसको अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है अथवा त्यागपत्र की सूचना प्राप्त होने की तारीख से तीस दिन बीत जाने पर, दोनों में से जो भी पूर्ववर्ती हो, रिक्त हो जाएगा । अध्यक्ष ऐसी स्वीकृति की सूचना बोर्ड को उसके अगले अधिवेशन में और केन्द्रीय सरकार को, देगा ।

(6) (2) अध्यक्ष की मृत्यु हो जाने पर अथवा उसके द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने पर या यह समझे जाने पर कि उसने त्यागपत्र दे दिया है अथवा पद से हटा दिए जाने पर या कार्य करने में असमर्थ हो जाने पर उपाध्यक्ष, अन्य अध्यक्ष नियुक्त किए जाने तक अध्यक्ष द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग और निर्वहन किए जानेवाले कर्तव्यों का निर्वहन करेगा ।

(3) यदि उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो जाता है अथवा उपाध्यक्ष बोर्ड का सदस्य नहीं रह जाता है तो बोर्ड उपनियम (1) के अधीन उपाध्यक्ष की अनवसित पदावधि केलिए तुरन्त किसी सदस्य को उपाध्यक्ष निर्वाचित करेगा ।

10. **बोर्ड के अधिवेशनों की न्यूनतम संख्या :-** बोर्ड का, हर तिमाही में, कम से कम एक अधिवेशन होगा, परन्तु यदि बोर्ड चाहे तो केन्द्रीय सरकार की अनुमति से किसी तिमाही में कोई अधिवेशन न करे ।

11. **अधिवेशन बुलाने की शक्ति : -**

(1) केन्द्रीय सरकार किसी भी समय बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगी ।

(2) अध्यक्ष किसी समय बोर्ड का अधिवेशन बुला सकेगा और कम से कम दस सदस्यों द्वारा अधिवेशन बुलाए जाने की अध्यापेक्षा की जाने पर, ऐसा अधिवेशन बुलाएगा ।

12. **परिचालन द्वारा कार्य :-**

(1) यदि बोर्ड या समिति से कोई कार्य करने की अपेक्षा की जाती है और बोर्ड या समिति का अध्यक्ष ऐसा निदेश देता है तो वह कार्य कागजपत्रों के परिचालन द्वारा, सदस्यों को निर्देशित किया जा सकेगा और इस प्रकार परिचालित कोई भी संकल्प या प्रस्ताव, जिसे बहुसंख्यक सदस्यों ने लिखित रूप में अपने विचार व्यक्त करके अनुमोदित कर दिया है, उसी प्रकार प्रभावी और आबद्धकर होगा मानो वह किसी अधिवेशन में बहुमत से पारित कर दिया गया है ;

---

(5) दिसंबर 1955 की अधिसूचना सं. 42-एस.एस.आई (बी) (7)/54 द्वारा संशोधित

x सा.का.नि. 390 (अ) दिनांकित 22.03.1990 द्वारा 8 (2) हटाया गया है ।

(6) दि. 29.04.1955 की अधिसूचना सं. 42 एस एस आई (7)/54 द्वारा संशोधित

परन्तु यह तब जब, यथास्थिति, बोर्ड के कम से कम दस सदस्यों ने या समिति के बहुसंख्यक सदस्यों ने संकल्प या प्रस्ताव पर अपने विचार लिखित में व्यक्त कर दिए हैं :

परन्तु यह और कि जब कोई संकल्प या प्रस्ताव कागजपत्रों के परिचालन द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो, यथास्थिति, बोर्ड के कोई पाँच सदस्य या समिति के तीन सदस्य यह अपेक्षा कर सकते हैं कि वह संकल्प या प्रस्ताव अधिवेशन को निर्देशित किया जाए और तब वह बोर्ड या समिति की अधिवेशन को निर्देशित किया जाएगा ।

(2) यदि इस प्रकार का कोई कार्य सदस्यों को परिचालन द्वारा निर्देशित किया जाता है तो सदस्यों से उत्तर प्राप्ति के लिए बोर्ड के मामले में कम से कम 14 पूर्ण दिनों और समिति के मामले में कम से कम 10 पूर्ण दिनों का समय दिया जाएगा । इस अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जिस तारीख को कार्य की सूचना जारी की जाती है ।

(3) यदि कोई संकल्प या प्रस्ताव परिचालित किया जाता है तो परिचालन का परिणाम सभी सदस्यों को संसूचित किया जाएगा ।

13. **कार्यों का अभिलेख** :-

(1) बोर्ड या उसकी समितियों द्वारा किए गए सभी कार्यों का अभिलेख रखा जाएगा और ऐसे अभिलेखों की प्रतियाँ केन्द्रीय सरकार को भेजी जाएँगी ।

(2) बोर्ड और समितियों की अधिवेशनों में किए गए कार्य के अभिलेखों पर, उन अधिवेशनों की अध्यक्षता करनेवाला अध्यक्ष हस्ताक्षर करेगा ।

(3) यदि कार्य कागजपत्र के परिचालन द्वारा किया जाता है तो किए गए ऐसे कार्य के अभिलेख पर हस्ताक्षर, परिचालन का निर्देश देनेवाले, यथास्थिति, बोर्ड या समिति का अध्यक्ष, करेगा ।

14. **बजट प्राक्कलन** :-

(1) बोर्ड प्रतिवर्ष आगामी वर्ष केलिए एक बजट तैयार करेगा और उसे स्वीकृति के लिए अक्तूबर के दूसरे सप्ताह में केन्द्रीय सरकार को भेजेगा, परन्तु पहला बजट उस तारीख को या उससे पूर्व भेजा जाएगा जो केन्द्रीय सरकार नियत करे ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए जानेवाले आदेशों के अधीन रहते हुए, तब तक कोई व्यय नहीं किया जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार बजट

मंजूर नहीं कर देती और सक्षम प्राधिकारी उसे प्राधिकृत नहीं कर देता ।

(3) बजट उस रूप में होगा जो केन्द्रीय सरकार निर्दिष्ट करे और उसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) प्राक्कलित आदि अतिशेष ;

(ख) निम्नलिखित रूप से होने वाली प्राक्कलित प्रप्तियां:-

(i) अधिनियम की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा सौंपे गए उपकर के आगम;

(ii) अधिनियम या उसके अधीन नियमें के अधीन उद्‌गृहीत और संगृहीत की जाने वाली कोई अन्य फीस;

(ग) निम्नलिखित शीर्षों (अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्देश किए जानेवाले अन्य शीर्ष) में वर्गीकृत प्रस्तावित व्यय :-

(i) प्रशासन ;

(ii) (क)भारत में ; (ख) भारत के बाहर कयर तथा कयर से बनी वस्तुओं के विक्रय और उपभोग को बढाने के उपाय ;

(iii) अनुसंधान ;

(iv) आंकडे ;

(v) अन्य

(4) प्रत्येक शीर्ष के अधीन प्रस्तावित व्यय को आगे निम्नलिखित उपशीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगा :-

1. अधिकारियों का वेतन,
2. स्थापन का वेतन,
3. भत्ते, मानदेय आदि,
4. अन्य प्रभार,आकस्मिक खर्च आदि ।

(5) व्यय के अनुपूरक प्राक्कलन केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के लिए उसके द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप में और तारीखों को भेजे जाएँगे ।

15 **संविदाएं :**- (1) बोर्ड संविदाएं कर सकेगा परन्तु ऐसी प्रत्येक संविदा के लिए जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए है अथवा जिसमें 20,000 रु. से अधिक का व्यय है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी अपेक्षित होगी:

परन्तु बोर्ड साधारण वित्त नियम के उपबन्धों के अनुसार तथा मंजूर किए गए बजट आबंटनों के अन्तर्गत,ऐसी संविदाएं करने केलिए सक्षम होगा जिनकी अवधि तीन वर्ष से अधिक की नहीं है और जिनमें विद्युतचालित करघा कारखाने के लिए कच्चा माल क्रय करने के लिए दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक का खर्च

अन्तर्वलित नहीं है ।

(2) बोर्ड अपनी ओर से संविदाएँ करने के लिए उन शक्तियों को ,जिन्हें वह उपुक्त समझे, अध्यक्ष अथवा सचिव को या विद्युतचालित करघा कारखाने के लिए कच्चा माल क्रय करने के मामले में विद्युतचालित करघा कारखाने के बुनाई मास्टर को, प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(3) संविदाएं बोर्ड पर तभी आबद्धकर होंगी जब उन्हें अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष और सचिव या विद्युतचालित करघा कारखाने के बुनाई मास्टर ने, संबंधित समुचित प्राधिकारी की पूर्व मंजूरी से, निष्पादित किया है और उन पर जहाँ आवश्यक है, बोर्ड की सामान्य मुद्रा लगी है :

परन्तु विद्युतचालित करघा कारखाने के बुनाई मास्टर और केन्द्रीय कयर अनुसंधान संस्थान का निदेशक एक साथ काम करते हुए, तीन वर्ष तक की अवधि की ऐसी संविदाएं करने के लिए सक्षम होंगे जिनमें विद्युतचालित करघा कारखाने केलिए कच्चा माल क्रय करने के लिए 30,000 रुपये से अधिक का व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

(4) बोर्ड द्वारा दिए गए किसी आश्वासन अथवा की गई किसी संविदा के लिए अध्यक्ष या सचिव अथवा बोर्ड का कोई सदस्य उत्तरदायी नहीं होगा :

परन्तु ऐसे आश्वासन अथवा संविदा से उत्पन्न होने वाले दायित्व का उन्मोचन बोर्ड को दी गई रकमों में से किया जाएगा ।

16. **व्यय उपगत करने की शक्ति** :- (1) अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अधीन रहते हुए बोर्ड ऐसे व्यय कर सकेगा ।

जो वह ठीक समझता है और किसी एक मामले में 1,000 रुपये की हानि, बट्टे खाते डाल सकेगा और ऐसी वित्तीय शक्तियों का, जो वह समीचीन समझे, प्रत्यायोजन कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष या सचिव अथवा विद्युतचालित करघा कारखाने के लिए कच्चा माल क्रय करने के मामले में, विद्युतचालित करघा कारखाने के बुनाई मास्टर को कर सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार की मंजूरी के बिना कोई ऐसा व्यय उपगत नहीं किया जाएगा जो किसी शीर्ष के अधीन मंजूर किए गए बजट आबंटन से अधिक है ।

(2) बोर्ड, व्यय के किसी शीर्ष के अन्तर्गत पुनर्विनियोजन कर सकता है और नियम 22 (2) के खण्ड (घ) के अधीन इस संबंध में अपनी शक्तियां कार्यकारिणी समिति को प्रत्यायोजित कर सकता है ।

(3) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, व्यय के शीर्षों के बीच पुनर्विनियोजन नहीं किया जा सकता है ।

(4) केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बोर्ड, किसी एक पद पर भारत के बाहर 10,000 रुपये से अधिक व्यय उपगत नहीं करेगा ।

17. **उधार लेने की शक्तियां** :- बोर्ड केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से अपना खर्च पूरा करने अथवा अधिनियम की धारा 10 में निर्दिष्ट किसी अन्य कार्य के लिए कयर निधि अथवा अपनी अन्य किसी परिसंपत्ति की प्रतिभूति पर ऋण ले सकेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार अथवा किसी राज्य सरकार से भिन्न किसी व्यक्ति से कोई ऐसा ऋण नहीं लिया जाएगा जो ऋण की तारीख से छह मास के पश्चात प्रतिसंदेय है ।

x18 **बोर्ड के लेखे** :- (1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष से संबंधित सभी प्राप्तियों और व्ययों तथा देयताओं और परिसम्पत्तियों के लेखे अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में रखेंगे ।

(2) प्राप्तियों और व्यय के लेखापरीक्षित लेखे, उन पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के साथ, लेखापरीक्षा के तुरन्त पश्चात और किसी भी दशा में उस वर्ष के, जिसमें लेखापरीक्षा हुई है, समाप्त होने के सात मास के भीतर, केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जायेंगे । *

(3) प्राप्तियों के लेखे निम्नलिखित शीर्षों में दिखाए जाएंगे :-

(क) अधिनियम की धारा 14 के अधीन प्राप्त धन :

(ख) जारी की गई अनुज्ञप्तियों, रजिस्ट्रियों आदि से प्राप्त शुल्क:

(ग) बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया कोई अन्य धन:

(घ) बोर्ड द्वारा प्राप्त किया गया ब्याज ।

(ङ) बिजली करघा फैक्टरी (हिन्दुस्तान कयर) के व्यय से अधिक आय ।

(च) प्रदर्शन कक्षों और बिक्री डिप्पों में व्यय से अधिक आय ।

(4) वर्ष में उपगत व्यय अलग-अलग शीर्षों और उपशीर्षों के अधीन दिखाया जाएगा ।

19. **प्रयुक्त किए जाने वाले प्ररूप** :- इन नियमों की अनुसूची में दिए गए प्ररूपों का प्रयोग, प्रयोग, प्रत्येक प्ररूप में निर्दिष्ट संदर्भ के अनुसार, यथास्थिति, अधिनियम अथवा नियमों के उपबन्धों के प्रयोजन केलिए किया जाएगा । बोर्ड ऐसे किसी प्ररूप में सामान्य रूप से या किसी मामले विशेष में आवश्यकतानुसार परिवर्धन अथवा परिवर्तन कर सकता है ।

20. बोर्ड ऐसे आंकडे मांग सकता है और उन्हें बनाए रख सकता है जो वह अपने कर्तव्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक समझे । इसमें निम्नलिखित से संबंधित आंकडे भी सम्मिलित हैं :-

(क) प्रचालन में लगे हुए तकुए और करघे,

(ख) कयर सूत और विनिर्मित कयर से बनी वस्तुओं की मात्रा और क्वालिटी,

(ग) नियोजित श्रमिक,

(घ) संदत्त मएजदूरी,

(ङ) कामबंदी,

(च) विद्यमान संयंत्र और उनमें की गई कमी या वृद्धि,

(छ) निर्यातित कयर रेशे, कयर सूत अथवा कयर से बनी वस्तुओं की मात्रा और क्वालिटी :

X दिनांक 17.12.1983 की अधिसूचना सं.जी एस आर 1022 द्वारा संशोधित

(ज) वसूल किए गए उपकर की रकम ।

21. **सचिव का वेतन और भत्ते** :- सचिव यात्रा भत्ते और मकान भत्ते सहित ऐसे वेतन और भत्तों का हकदार होगा और छुट्टी, पेंशन, भविष्य निधि और अन्य मामलों से संबंधित ऐसी सेवा शर्तों के अधीन होगा जो केन्द्रीय सरकार, समय-समय पर, नियत करे ।

22. **शक्तियों के प्रत्यायोजन पर निर्बन्धन** :- (1) बोर्ड कार्यकारिणी समिति के सिवाय किसी अन्य समिति को अपनी किसी प्रशासनिक अथवा वित्तीय शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं करेगा ।

(2) बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों में से कोई भी शक्ति कार्यकारिणी समिति को प्रत्यायोजित नहीं करेग :-

(क) विद्युतचालित करघा कारखाने के लिए आवश्यक वस्तुओं के क्रय को छोडकर, किसी एक मद के संबंध में दस हजार रुपए से अधिक व्यय मंजूर करने की शक्ति,

(ख) बोर्ड की ओर से उसके बजट प्राक्कलनों को अंगीकार करने की शक्ति,

(ग) किसी एक मद के संबंध में भारत के बाहर 5,000 रुपये से अधिक का व्यय मंजूर करने की शक्ति:

(घ) किसी एक मद के संबंध में 2,500 रुपए से अधिक की प्राक्कलित बचत के पुनर्विनियोजन की शक्ति:

(ङ) किसी एक मामले में 1,500 रुपये से अधिक की हानि को बट्टे खाते डालने की शक्ति ।

23. **नियुक्तियां** :- (1) अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय और उपनियमों में उपबंधित प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड के अधीन अधिकारियों

और कर्मचारियों के सभी पदों पर नियुक्तियां, बोर्ड करेगा ।

(2) बोर्ड समय-समय पर स्थापन का मापमान तथा उसके द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और भत्ते नियत करेगा और ऐसे अवसरों पर तथा ऐसी रकम को, जैसी वह उचित समझे, प्रतिभूति मांग सकेगा ।

* परन्तु कोई ऐसा पद, जिसका वेतन या अधिकतम वेतन 960 रु. प्रतिमास या इससे अधिक है, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना न तो सर्जित किया जाएगा और न भरा जाएगा ।

24. **भत्ते और परिश्रमिक**:- केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, किसी सदस्य को उसकी सेवाओं के लिए, यात्रा भत्ते ओर विराम भत्ते से भिन्न कोई अन्य भत्ता नहीं दिया जाएगा ।

25. **निधियों की अभिरक्षा और संवितरण** :- (क) अधिनियम की धारा 13 के अधीन उद्गृहीत सीमाशुल्क के आगम को प्रथमत: भारत की संचित निधि में जमा किया जाएगा ।

(ख) तत्पश्चात् संग्रहण व्ययों को काट कर, सीमाशुल्क के आगमों को "(पी) - बिना ब्याज वाले निक्षेप (बी) - आरक्षित निधि" शीर्ष के अधीन "कयर विकास निधि" मद्धे जमा खाते कर दिया जाएगा ।

(ग) बोर्ड द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत अनुज्ञप्ति फीस को कयर निधि में जमा खाते जमा कर दिया जाएगा ।

(घ) कयर बोर्ड का सभी व्यय, मुख्यशीर्ष "43 - उद्योग और पूर्ति" के अधीन एक पृथक् लघु शीर्ष में प्रभारित किया जाएगा । व्यय कयर निधि से किया जाएगा जिसमें अधिनियम की धारा 14 के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड को किए जाने वाले संदाय भी जमा खाते किए जाएंगे ।

** (ङ) बोर्ड की रकमें किसी खजाने में व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में केन्द्रीय सरकार के पास रखी जाएंगी, परंतु बोर्ड ऐसी रकमों को, जो दिन प्रति दिन के व्ययों के लिए आवश्यक हैं , भारतीय स्टेट बैंक अथवा उसके किसी सहायक बैंक में रख सकता है ।

(च) निधियों को निकालने के लिए अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की मंजूरी आवश्यक होगी ।

(छ) बोर्ड की ओर से अथवा उसके द्वारा किए जाने वाले भुगतान नकदी में अथवा बोर्ड के चालू खाते पर काटे गए चेक से, किए जाएंगे ।

26. **व्यक्तियों को देश से बाहर भेजना** :- बोर्ड अपने किसी अधिकारी अथवा किसी सदस्य को सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना भारत के बाहर किसी स्थान को नहीं भेजेगा ।

27. **रिपोर्ट और विवरणियाँ** :- बोर्ड अपने क्रियाकलाप और अधिनियम के कार्यकारण की

बाबत एक अर्धवार्षिक रिपोर्ट और एक वार्षिक रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को उस अवधि की, जिससे ऐसी रिपोर्ट संबंधित है, समाप्ति से तीन मास के भीतर भेजेगा ।

---

* दि. 28.05.1998 की अधिसूचना सं.. 474 (बी) द्वारा संशोधित

** दिनांक 21.07.1969 की अधिसूचना सं.15(1)/टेक्स(ई)/67,टेक्स(डी) द्वारा संशोधित।

प्ररूप 1
(नियम 14 (5) देखिए)

व्यय का अनुपूरक प्राक्कलन

लेखा शीर्ष	वर्ष केलिए मंजूर किया गया प्राक्कलन	अद्यतन व्यय	वर्ष केलिए शेष भाग केलिए प्राक्कलित व्यय	अपेक्षित अतिरिक्त अनुदान	टिप्पणियाँ (यहाँ संक्षेप में यह बताएं कि अतिरिक्त अनुदान क्यों अपेक्षित है)

प्ररूप - 2

(नियम 18 (1) देखिए)

कयर बोर्ड प्रदर्शन कक्ष व बिक्री डिप्पो के 31 मार्च ..... को समाप्त वर्ष का आय व्यय लेखा

पिछले वर्ष के आँकडे	**व्यय शीर्ष**	**चालू वर्ष के आँकडे**		**पिछले वर्ष के आँकडे**	**आय**	**चालू वर्ष के आँकडे**
रु. पै.		अनुसूची	रु.	पै रु. पै.	अनुसूची	रु. पै.
	वेतन	1			बिक्री पर कमीशन	5
	प्रदर्शन कक्ष व डिप्पो के प्रबंधकों को कमीशन	2			विविध प्राप्तियों द्वारा	6
	बीमा				आय से अधिक व्यय	
	किराया दर व कर मूल्य ह्रास	3				
	बट्टे खाते में डाला गया विलंबित राजस्व खर्च					
	विविध खर्च	4				
	व्यय से अधिक आय					
कुल :						

प्ररूप - 3
(नियम 18 (1) देखिए)

हिन्दुस्तान कयर, कलवूर
31 मार्च..... को समाप्त वर्ष के उत्पादन और व्यापार का लेखा

पिछले वर्ष के आँकडे	व्यय	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	आय	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.		रु. पै	रु. पै.		रु. पै.
	आरंभिक स्टॉक कच्चा माल रंज पदार्थ और रसायन				 व्यापार लेखे को स्थानांतरित तैयार माल का मूल्य
	अर्ध तैयार माल चालू काम में निहित अन्य				
	खरीद रंगाई खर्च				
	स्नेहक पानी व बिजली मएजदूरी भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा के लिए कर्मचारियों का अंशदान				**अन्य शेष स्टॉक** कच्चा माल रंजक पदार्थ और रसायन अर्ध तैयार माल चालू काम में निहित
	कर्मचारियों केलिए बोनस माल लेने का भाडा				अन्य

पिछले वर्ष के आँकडे	व्यय	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	आय	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.		रु. पै	रु. पै.		रु. पै.
	मूल्य ह्रास मकान संयंत्र व मशीनरी औजार आदि उत्पादन लेखे से स्थानांतरित तैयार माल का मूल्य तैयार माल का आरंभिक स्टॉक				बिक्री द्वारा प्रेषण लेखा द्वारा बिक्री
	लाभ तथा हानि लेखों में सकल लाभ				तैयार माल का अंत्य शेष स्टॉक लाभ और हानि लेखे में स्थानांतरित सकल हानि
कुल :					

प्ररूप - 4
(नियम 18 (1) देखिए)

हिन्दुस्तान कयर, कलवूर
31 मार्च..... को समाप्त वर्ष लाभ तथा हानि लेखा

पिछले वर्ष के आँकडे	व्यय शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	लेखा शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.		रु. पै	रु. पै.		रु. पै.
	वेतन व भत्ता			व्यापार लेखे से स्थानांतरित सकल लाभ	
	यात्रा भत्ता भविष्य निधि व कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान			विविध प्राप्तियाँ	
	डाक तथा तार टेलिफोन दर व कर ब्याज बीमा मकान की मरम्मत और अनुरक्षण माल भेजने का भाडा बैंक प्रभार छूट विज्ञापन प्रभार प्रशिक्षणार्थियों को वृत्तिका लेखन सामग्री तथरा छपाई कार्यालय खर्च मूल्यह्रास फर्नीचर व फिटिंग्स आदि फुटकर खर्च शुद्ध लाभ				
कुल :					

प्ररूप - 5
(नियम 18 (1) देखिए)

हिन्दुस्तान कयर, कलवूर
31 मार्च..... को तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आँकडे	देयताएँ	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.		रु. पै		रु. पै.	रु. पै.
	पूँजी पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			**अनुसूची** स्थायी परिसंपत्तियाँ चालू परिसंपत्तियाँ अंत्य शेष स्टॉक	7
	लाभ तथा हानि लेखा पिछले तुलन पत्र के अनुसार शुद्ध लाभ जमा: चालू वर्ष का शुद्ध लाभ भारत सरकार से ऋण बैंक से ऋण			कच्चा माल, रसायन, अर्ध तैयार माल चालू काम में निहित तैयार माल प्रदर्शन कक्षों के स्टॉक	
				फुटकर देनदार प्रदर्शन कक्ष अन्य हस्तगत डाक टिकट् बैंक में रोकड हस्तगत रोकड	
	चालू देयताएँ फुटकर लेनदार देय ब्याज जमा/अग्रिम अन्य देयताएँ			**ऋण व अग्रिम** वसूली योग्य जमा कर्मचारियों को अग्रिम दूसरों को अग्रिम	
कुल :					

प्ररूप - 6
(नियम 18 (1) देखिए)

कयर बोर्ड के 31 मार्च..... को समाप्त वर्ष का आय व व्यय लेखा

पिछले वर्ष के आँकडे	व्यय शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	आय शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.	अनुसूची	रु. पै	रु. पै.	अनुसूची	रु. पै.
	प्रशासन			कयर उद्योग अधिनियम 1953 की धारा 14 के अंतर्गत प्राप्त राशि	
	देशी बाजार का विस्तारण 8				
	विदेशी बाजार का विस्तारण				
	अनुसंधान (विज्ञान व प्रौद्योगिकी) 9			कम उपकर वसूली खर्च	
	सांख्यिकी प्रलेखन व डेटा बेस			कयर उद्योग अधिनियम 1953 कमी धारा 14 (क) के अधीन भारत सरकार के अनुदान	
	विपणन व प्रचार 10				
				अन्य प्राप्तियाँ	
	राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को सुदृढ बनाना			निवेश केलिए ब्याज	
	निर्यात विनिमयन व निरीक्षण निम्नतम क्रयमूल्य			हिन्दुस्तान कयर में आय से अधिक व्यय	
	कयर में सहकारीकरण केलिए सहायता (पूरे भारत में) 11				

पिछले वर्ष के आँकडे	व्यय शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	आय शीर्ष	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.	अनुसूची	रु. पै	रु. पै.	अनुसूची	रु. पै.
	प्रशिक्षण आधारिक संरचना केलिए सहायता			प्रदर्शन कक्षों में आय से अधिक व्यय	
	सर्वेक्षण व अध्ययन			आय से अधिक व्यय	
	केन्द्रीय विपणन संगठन का संस्थापन				
	अनुसूचित जाति व जनजाति केलिए संघटक योजना 12				
अन्य					
	सदस्यों केलिए यात्रा भत्ता				
	मूल्यह्रास उधार पर ब्याज प्रदर्शन कक्षों में व्यय से अधिक आय				
	हिन्दुस्तान कयर में व्यय से अधिक आय				
	व्यय से अधिक आय				

नोट : बजट आवश्यकताओं के अनुसार नयी मदें जोडी जाएँगी ।

प्ररूप - 7
(नियम 18 (1) देखिए)

कयर बोर्ड के मार्च 31 का तुलन पत्र

पिछले वर्ष के आँकडे	देयताएँ	चालू वर्ष के आँकडे	पिछले वर्ष के आँकडे	परिसंपत्तियाँ	चालू वर्ष के आँकडे
रु. पै.		रु. पै	रु. पै.		रु. पै.
	पूँजी पिछले तुलन पत्र के अनुसार शेष			स्थायी परिसंपत्तियाँ निवेश	14
	कयर निधि लेखा अंत शेष कम - चालू वर्ष में व्यय से अधिक आय			**चालू परिसंपत्तियाँ** अंत शेष स्टॉक प्रदर्शन कक्षों में स्टॉक	15
	भारत सरकार से ऋण चालू देयताएँ फुटकर लेनदार देय ब्याज जमा/अग्रिम अन्य देयताएँ			**फुटकर देनदार** प्रदर्शन कक्ष हिन्दुस्तान कयर अन्य हस्तगत डाक टिकट हस्तगत रोकड बैंक में रोकड चालू लेखा बैंक में रोकड जमा लेखा	16
				ऋण व अग्रिम प्राप्य जमा कर्मचारियों को अग्रिम अन्य लोगों को अग्रिम	
				कयर निधि लेखा अंत शेष जमा : आय से अधिक व्यय	
कुल :					